न्यायालयः—जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—IX, मधेपुरा।

नियमित जमानत आवेदन सं. (B.P. No.)-220/2026
मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या—333/2025

उपस्थित :— रघुबीर प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—IX
मधेपुरा।

1. मनोज दास उम्र 39 वर्ष पिता—स्व0 प्रेमलाल दास
साकिन—रजनी, वार्ड नं0—15, थाना—मुरलीगंज, जिला—मधेपुरा।

........अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार ....विपक्षी।

21/04/2026 दिनांक—17/02/2026 से काराधीन अभियुक्त मनोज दास पे0 स्व0 प्रेमलाल दास का नियमित जमानत आवेदन मुरलींज थाना कांड संख्या—333/2025, धाराऐं—103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश नंदन द्वारा जमानत आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया गया था जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को पूर्व में दी गयी। जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रचालित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथन है कि सूचिका रंजन कुमारी, साकिन टेमा, वार्ड नं0—14, थाना ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा के स्थायी निवासी हैं। सूचिका दिनांक 03.07.2025 समय करीब 08 बजे रात्रि में अपने माता—पिता के पड़ोसी पुजा कुमारी से फोन पर बोली कि कल से पिता (दिनेश दास) को फोन लगा रही हूँ। फोन नहीं लग रहा है। पिता से बात करा दो। तो पुजा कुमारी फोन लेकर घर गयी तो बोली कि घर का किबाड़ बंद है, अन्दर से कोई बोल नहीं रहा है। पुजा कुमारी घर के अन्दर गयी तो बोली कि पिता (दिनेश दास) एवं माता (भलिया देवी) खुन से लथपथ पड़ी हुई है। शरीर में कोई हरकत नहीं हो रहा है। सूचिका सास के साथ टेम्पु से मायके समय करीब 08:30 बजे गयी तो सूचिका की घर पर सूचिका के मौसी सुलोचना देवी एवं अगल—बगल के लोग बुधन दास, सुबोध दास, गोनर दास, मुकेश कुमार, अशोक दास के अलावे रामचन्द्र दास, समतालिया देवी के लोग घर में मौजूद थे। सूचिका घर के अन्दर गयी तो देखी कि पिता एवं माता खुन से लथपथ है। शरीर को ईंट, रड एवं लाठी

लगातार.....

नियमित जमानत आवेदन सं. (B.P. No.)-220/2026
मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–333/2025

लगातार.....

21/04/2026

वगैरह से मारकर कुचला हुआ है। दो–तीन पूर्व सूचिका के पिता सूचिका को फोन पर बतायी थी कि सत्य नारायण दास, चन्देश्वरी दास, रामचन्द्र दास, उमेश दास, मनोज दास (आवेदक अभियुक्त) , दुखन कुमार उर्फ राजीव, किशोर कुमार एवं इंदल कुमार के द्वारा धमकी दिया गया था कि कोई लड़का नहीं है सारा जमीन इनलोगों के हवाले कर दो। अभियुक्तगण से कई बार जमीन को लेकर मारपीट हुआ था।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और उसे ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फँसाया गया है। उभय पक्ष में जमीन संबंधी विवाद है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित नहीं है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 17/02/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत आवेदन पर सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में सूचक द्वारा आवेदक अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध धाराऐं– 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहित के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। अभियोजन मामले के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त सह–अभियुक्तगण के साथ सूचिका के माता–पिता को जान मारने का आरोप लगाया गया है। वाद दैनिकी के पारा–3 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। जिसमें मृतक का मृत्यु मारपीट कर हत्या करने की बात कही गयी है। वाद दैनिकी के पारा–7, 8, 22 एवं 23 में साक्षियों का बयान अंकित है। सभी साक्षियों ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन किया है। पूरक वाद दैनिकी के पारा–62 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से मुरलीगंज थाना में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

लगातार.....

<u>नियमित जमानत आवेदन सं. (B.P. No.)-220/2026</u>
मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–333/2025

लगातार.....

21/04/2026

आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए धाराऐं–103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में काराधीन अभियुक्त मनोज दास की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन **<u>अस्वीकृत</u>** किया जाता है।।

लेखापित

ह0/–
(रघुबीर प्रसाद)
जिला एवं अपर स़त्र न्यायाधीश–IX
मधेपुरा।